स्मार्ट सिटीज, मेट्रो और फ्लाईओवर से बदलेगा शहरी जीवन : डॉ. यादव

8 वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है इंदौर

50 हजार करोड़ रुपये का होगा निवेश

भोपाल,26 सितम्बर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी में आयोजित अर्बन ट्रांसफार्मेशन समिट-2025 का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहरीकरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि नागरिकों का जीवन सरल, सहज और सुविधासंपन्न बनाना ही सरकार का लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के शहरों का विकास उनकी विशिष्ट पहचान और तासीर के अनुरूप कर रही है. साथ ही, पुरातन धरोहर और विरासतों को संरक्षित रखते हुए ग्रीन और क्लीन सिटीज के निर्माण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है.

मेट्रो और फ्लाईओवर से आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख नगरों में मेट्रो ट्रेन सेवा और बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं. इंदौर में मेट्रो शुरू हो चुकी है, वहीं भोपाल में अक्टूबर 2025 से एक कॉरिडोर पर मेट्रो चलने लगेगी. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटीज के विकास से नई पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं. बेहतर परिवहन व्यवस्था और ईवी पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे जनसामान्य को सब्सिडी और शुल्क माफी का लाभ मिलेगा, वहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.

डॉ. यादव ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश-2047 के तहत 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की अहम भूमिका होगी. उन्होंने निजी निवेश और भागीदारी को भी अत्यंत आवश्यक बताया. समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन किया और मीडिया समूह की ओर से उन्हें कॉफी टेबल बुक व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया. कार्यक्रम का संचालन अर्पित गुप्ता ने किया और आभार आदर्श सोम ने व्यक्त किया.

स्वच्छता और आवास में बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर लगातार 8 वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है. भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर भी उत्कृष्ट शहरी सेवाओं के लिए पहचाने जा रहे हैं .उन्होंने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अंतर्गत 8.56 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनमें से 82 प्रतिशत आवास महिलाओं के नाम पर हैं. आगे 10 लाख नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. अमृत योजना 2.0 के तहत जल आपूर्ति और सीवरेज की 8,801 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम जारी है, जिससे प्रदेश की लगभग 60त्न शहरी आबादी लाभान्वित होगी.

नई योजनाएं और 2047 का विजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के संभावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी गई है. उन्होंने मध्यप्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2025 का भी उल्लेख किया, जिससे आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा को वैज्ञानिक और आधुनिक स्वरूप मिलेगा.

भ्रष्टाचारियों की रक्षा भाजपा सरकार का राजधर्म : सिंघार

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मामले में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि भ्रष्टाचारियों की रक्षा करना ही भाजपा सरकार का राजधर्म बन गया है. सिंघार ने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के चुनावी हलफनामे में संपत्ति छुपाने के आरोपों की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि सरकार निर्वाचन आयोग को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रही है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार मंत्री को बचाने में जुटी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन घोटाले से जुड़े तमाम सबूत उन्होंने स्वयं सरकार को सौंपे थे.

कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ निकाली रैली

खरगोन, 26 सितंबर. शुक्रवार को शहर में कांग्रेस ने वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली और सभा का आयोजन कर कांग्रेस की ताकत दिखाने का प्रयास किया गया. इस रैली में न केवल जिले बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हुए.

दोपहर एक बजे रैली के रुप में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अनाज मंडी पहुंचे. यहां प्रदेश में गौ मांस टैक्स फ्री करने, अवैध शराब सहित फसलों के दामों को लेकर सरकार को घेरने के साथ ही कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया. पटवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते है प्रदेश में गौवध प्रतिबंधित है, अरे भाई जब गौवश प्रतिबंधित है तो गौमांस पर टैक्स छूट किसके लिए. यह किसे मुर्ख बना रहे हो. प्रदेश में गौवध नही होने देंगे. सभा को राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी सचिव संजय दत्त, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रवि जोशी, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ, पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन, विधायक झूमा सोलंकी, केदार डावर, ने भी संबोधित किया.

इस दौरान मोंटू सोलंकी और ग्यारसीलाल रावत मौजूद रहे. संचालन जिलाध्यक्ष रवि नाईक ने किया आभार उपाध्यक्ष विजय कोचले ने माना. सभा में पटवारी ने जिले की महती बिंजलवाडा सिंचाई परियोजना में गड़बड़ी, अनियमितता की शिकायत पर कहा कि उपस्थित कार्यकर्ताओं में कई किसान है. पार्टी किसानों के साथ है, योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले से प्रदेश स्तर तक पार्टी आंदोलन करेगी.

पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जारी की राशि

- 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में पहुंची राशि
- 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की अंतरित

नई दिल्ली,26 सितंबर. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की.

इस किस्त के तहत 27 लाख से अधिक किसानों (जिनमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल) को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में अंतरित की गई. यह सहायता हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को समय पर राहत देने के उद्देश्य से दी गई है. चौहान ने कहा कि यह 2,000 रुपये की किस्त किसानों को न सिर्फ तत्काल घरेलू जरूरतें पूरी करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें अगले बुवाई सीजन के लिए बीज व उर्वरक खरीदने का आत्मविश्वास भी देगी. उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते किसान परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेगी. इस अवसर पर एक लघु वृत्तचित्र भी दिखाया गया, जिसमें बाढ़ प्रभावित किसानों की कठिनाइयों और सरकार की राहत पहलों को दर्शाया गया. कृषि मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावित राज्यों के दौरे को भी याद किया.

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए क्रमश: 1500 करोड़, 1600 करोड़ और 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की थी. इसके साथ मृतकों व घायलों के परिवारों को अनुग्रह राशि और बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से मदद भी प्रदान की गई.

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

W/623/5/1/NIT — दिनांक: 24.09.2025

ई-टेण्डरिंग नोटिस

मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है-

क्र. सं.	ई-टेंडरिंग संख्या और कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू	बयाना राशि रू	कार्य समापन अवधि
1	RTM-2025-26-116 Ujjain-Providing 20 units officer rest house at. (Composite Civil + Electrical)	5,10,98,705.87	4,05,500/-	12 माह

अनुमानित मात्रा: As per tender schedule. Similar type of work: Construction of any Building Work. वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि: 23.09.2025. निविदा खुलने की तिथि: 24.10.2025. विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

DE/5/1/260 — मण्डल रेल प्रबंधक (कार्यलेखा), रतलाम मंडल - पश्चिम रेलवे

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

'प्रतिकल्पा' को किराए पर चलाएगा विकास प्राधिकरण

- 70 करोड़ का शॉपिंग-कम-रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स, यूडीए लीज पर देगा
- 2022 में मंत्री रहते डॉ यादव ने किया था भूमि पूजन,2025 को मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण
- 8 करोड़ सालाना किराया आने की प्राधिकरण को उमीद

नवभारत न्यूज

उज्जैन. शहर के सबसे व्यावसायिक नानाखेड़ा क्षेत्र में विकास प्राधिकरण ने 70 करोड़ की लागत से जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसमें दुकान और फ्लैट लेने के लिए ही हितग्राहियों की लाइन लगी हुई थी, टेंडर विज्ञप्ति के लिए विकास प्राधिकरण पहुंचकर जिनके चप्पल जूते घिस गए उन्हें अब यह जानकर हैरानी हुई है कि विकास प्राधिकरण उक्त परिसर को किराए पर चलाएगा. वहीं अब बड़े व्यवसाईयों की बल्ले बल्ले हो गई है.

उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) शहरवासियों के लिए एक बड़ा और नया प्रयोग करने जा रहा है. नानाखेड़ा बस स्टैंड पर तैयार किया गया करीब 70 करोड़ रुपए लागत का अत्याधुनिक शॉपिंग-कम-रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स अब किराए पर दिया जाएगा. इसके लिए यूडीए ने टेंडर जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं. खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार किसी सरकारी संस्था द्वारा इतनी बड़ी और कीमती संपत्ति को लीज पर देने की पहल हो रही है.

यूडीए सीईओ से सीधी बात

नवभारत में इस संबंध में विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी से जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह बात सही है कि, विकास प्राधिकरण ने 70 करोड़ की लागत से नानाखेड़ा बस स्टैंड के सामने प्रतिकल्पा नामक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, पहले दुकान और फ्लैट टेंडर विज्ञप्ति के माध्यम से दिए जाने पर विचार हुआ था, बाद में इस योजना को बदल दिया गया और अब यूडीए चाहता है कि कोई एक फर्म इस पूरे परिसर को किराए पर ले लें.

बोर्ड बैठक में जाएगा ये विषय

प्रतिकल्पा कॉम्प्लेक्स को किराए पर लेने में बहुत ज्यादा लोगों ने रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि नवरात्रि दशहरा दीपावली का समय चल रहा है, ऐसे में एक बड़ी रकम कोई फर्म अभी लगाना नहीं चाहती, ऐसे में अब प्रतिकल्पा को किराए पर दिया जाए या इसे टेंडर विज्ञप्ति के माध्यम से हितग्राहियों को या निवेशकों को विक्रय कर दी जाए, इसको लेकर पूरा विषय अब बोर्ड बैठक में जाएगा, बोर्ड बैठक जल्द ही की जाएगी.

कॉम्पलेक्स की विशेषताएँ

40 हजार वर्गफीट जमीन पर 70 करोड़ रुपए की लागत से यह सात मंजिला इमारत बनाई गई है. इसमें व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह की सुविधाएं मौजूद है. भूतल पर 9 डबल हाइट दुकानें, मध्यतल पर 2 और प्रथम तल पर 11 दुकानें. दूसरी से सातवीं मंजिल तक कुल 53 फ्लैट, जिनमें 24 टू-बीएचके और 29 थ्री-बीएचके शामिल.

एक आधुनिक जिम और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, बेसमेंट में 27 और सिटल्ट पार्किंग में 29 चार पहिया वाहनों की क्षमता है,प्राधिकरण का अनुमान है कि कॉम्पलेक्स को किराए पर देने से जो आय होगी वो राशि प्राधिकरण के स्थापना व्यय की पूर्ति में मददगार होगी और भविष्य के विकास कार्यों के लिए भी स्थायी आय का स्रोत बनेगी.

भूमिपूजन से लोकार्पण तक

इस कॉम्पलेक्स की नींव 14 फरवरी 2022 को उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने रखी थी. इसके बाद 11 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. यादव ने ही इसका लोकार्पण किया. विकास प्राधिकरण कॉम्पलेक्स को इसलिए किराए पर देना चाहता है क्योंकि उज्जैन में होटल व्यवसाय भी जमकर फल फूल रहा है ,लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं ,ऐसे में 7 से 8 करोड रुपए सालाना इंकम यूडीए को हो सकती है.

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, इन्दौर संभाग क्र. 1, जी-13, प्रथम तल, एम.आई.जी. कॉलोनी, क्रिश्चियन एमीनेंट स्कूल के पीछे, इंदौर

निविदा सूचना क्र. 06/2025-26

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, इन्दौर संभाग क्र. 1, इन्दौर द्वारा **पुलिस आयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य**, ए.बी. रोड़, इन्दौर, अनुमानित लागत रु. 24.81 करोड़ हेतु निविदा (क्र. 2025_MPPHC_454467) आमंत्रित की गई है।

निविदा प्रपत्र **ऑनलाइन दिनांक 11.10.2025 को 17:00 बजे तक** खरीदे व प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/122280/2025 — **परियोजना यंत्री**

देवास दर्शन जाते समय हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत

इंदौर. माता मंदिर दर्शन के लिए देवास जा रही बुजुर्ग महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई. हादसे में महिला की मौके पर गिरने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई.

शिप्रा थाने से मिली जानकारी के अनुसार बिचौली मर्दाना में रहने वाले 75 हजार कमलाबाई पति नारायण, किराएदार अजय की एक्टिवा स्कूटर पर पीछे बैठकर देवास दर्शन के लिए निकली थी. रास्ते में डाकाच्या के पास स्पीड ब्रेकर

पार करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी. पीछे से आ रही मोटरसाइकिल पर उनका पोता राहुल और बहू सवार थे, जिन्होंने उन्हें उठाया. महिला बेहोश हो गई और सिर में चोट लग गई.तुरंत एंबुलेंस से उन्हें पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल रेफर किया. उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पोते राहुल ने बताया कि दादी की इच्छा थी कि वह माता के दर्शन कर सकें, इसलिए उन्हें स्कूटर पर साथ लिया गया था. पुलिस ने शिप्रा मार्ग पर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

आरोपी पुलिसकर्मियों को करें गिरफ्तार : सुको

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने एक युवक की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मृत्यु से जुड़े अदालती अवमानना मामले में चेतावनी देते हुए आरोपियों पुलिस अधिकारियों को सात अक्टूबर तक गिरफ्तार करने का शुक्रवार को आदेश दिया.

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने मृतक युवक देवा पारधी की माँ की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. पीठ ने कहा कि हिरासत में हुई मौत के लिए कथित रूप से जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मध्य प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय करेगा. अदालत ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सात अक्टूबर तक का समय दिया. पीठ ने संबंधित पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा, देश के शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का पालन करें. पालन नहीं होने की स्थिति में हम जानते हैं कि पालन कैसे करवाया जाता है. हम न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत आरोप तय करेंगे और उसके परिणाम भुगतने होंगे.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- म.नं. 176, स्कीम नं. 97, स्लाइस-4, नियर नर्मदा स्वयावर, गोपुर स्वयावर के बाद, इन्दौर-452001/माहिर प्लाजा, 81, अपोजिट लोकेन्द्र टॉकीज, रतलाम, म.प्र.-457001, मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री निखिलेश जैन जैन बिल्डर एंड कान्ट्रेक्टर श्रीमती अमिता जैन (प्रॉस्पेक्ट नं. 793459)	14-11-2019 रु. 1791493/- (रु. सत्रह लाख इक्यानवे हजार चार सौ तिरानवे मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	फ्लैट संख्या 302, ब्लॉक, ईडन गार्डन्स स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग, जो सर्वे संख्या 414/1/2, ग्राम पिगडंबर, ए.बी. रोड, राऊ इंदौर, मध्य प्रदेश 452001 पर स्थित है.	4-2-2025 कुल बकाया राशि 8-9-2025 को रु. 2723631/- (रु. सताइस लाख तेईस हजार छह सौ इकतीस मात्र)	रु. 1159000/- (रु. ग्यारह लाख उनसठ हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 115900/- (रु. एक लाख पन्द्रह हजार नौ सौ मात्र)
श्रीमती सूरजकला पाल श्री रानी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10112065)	4-12-2023 रु. 1532686/- (रु. पन्द्रह लाख बतीस हजार छह सौ छियासी मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	सर्वे संख्या 108/11 से उत्पन्न भूमि का एक भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 520 वर्ग फुट और कारपेट क्षेत्रफल 416 वर्ग फुट है, ग्राम राजगढ़, रेल नगर के पास, रतलाम 457001, भारत। मध्य प्रदेश.	6-3-2025 कुल बकाया राशि 8-9-2025 को रु. 1850950/- (रु. अट्ठारह लाख पचास हजार नौ सौ पचास मात्र)	रु. 842000/- (रु. आठ लाख बयालीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 84200/- (रु. चौरासी हजार दो सौ मात्र)
	IIFL HFL द्वारा प्रसिद्ध मुकदमा- उपभोक्ता न्यायालय, रतलाम, मध्य प्रदेश में शिकायत संख्या CC/234/2022 के अंतर्गत एक मुकदमा लंबित है. **नोट-** बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पहले सभी आवश्यक जाँच-पड़ताल करनी होगी.			

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
13-10-2025 11.00-14.00 बजे	15-10-2025 के 5.00 बजे तक	17-10-2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.iflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.

नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.

शेष भुगतान के लिए- https-//www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- रतलाम/इन्दौर, दिनांक- 27 सितम्बर, 2025 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

प्रदर्शन | विजयवर्गीय की टिप्पणी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

मंत्री के पुतले की जुबान का गंगाजल से किया शुद्धिकरण

संवाददाता विशेष

भोपाल,26 सितम्बर. प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी ने उनके बंगले के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने किया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए मंत्री के आदमकद पुतले की दो फुट लंबी जुबान का गंगाजल से शुद्धिकरण किया. पार्टी नेताओं का कहना था कि यह उनकी असंस्कारी वाणी की शुद्धि के लिए किया गया.

जिला कांग्रेस ने कहा, मंत्री जनता की सेवा के लिए बने हैं, न कि पवित्र रिश्तों का अपमान करने के लिए, विशेष कर नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर. इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं और उन्होंने मंत्री की कथित टिप्पणी को बेटियों और बहनों के सम्मान पर हमला बताया.

> प्रदर्शन में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, प्रदेश कांग्रेस महासचिव संजीव सक्सेना, मनोज शुक्ला, अमित शर्मा, आसिफ जैकी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कंसाना, युवा कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया सहित कई पार्षद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तथा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60